न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम, आर.जे.एस.

आपराधिक अपील संख्या – 10/2026

C.I.S. No. – 83/2026

C.N.R. No. – RJJH010001632025

1. राजेन्द्र पुत्र कुरड़ाराम
2. अरूण सिंह पुत्र इन्द्र देव
3. सुनिता पत्नी राजेन्द्र
4. हीरामणी पत्नी अरविन्द उर्फ रमेश
5. सरोज पत्नी जुगलकिशोर
6. प्रियंका पत्नी उमेश

समस्त निवासीगण अरामी की ढाणी, तन सौंथली, पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी जिला झुंझुनूं

.... अपीलार्थीगण (निगरानीकारान)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये योग्य लोक अभियोजक, झुंझुनूं
2. जगदीश प्रसाद पुत्र मूंगाराम
3. सुभिता देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
4. महेन्द्र पुत्र मूंगाराम
5. शिवचंद पुत्र मूंगाराम
6. कजोड़ी पत्नी अरूध सिंह

समस्त निवासीगण अरामी की ढाणी तन सौंथली पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं

... प्रत्यर्थीगण (गैर निगरानीकारान)

अपील अंतर्गत धारा 414 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विरूद्ध आदेश दिनांकित 21.11.2024 पारित द्वारा तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट, गुढ़ागौड़जी बमुकदमा राजस्थान राज्य बनाम राजेन्द्र आदि मुकदमा नंबर 277/2025 अंतर्गत धारा 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

उपस्थितिः–

1. श्री रविराज सिंगोदिया – अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से।
2. अपर लोक अभियोजक – प्रत्यर्थीगण संख्या 01 की ओर से।
3. प्रत्यर्थीगण सं. 02 लगायत 05 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
4 प्रत्यर्थीगण सं. 06 तलबी बंद।

–आदेश–

दिनांकः– 20 जुलाई, 2026

1. निगरानीकार राजेन्द्र एवं अन्य की ओर से निगरानी न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (जिसे आदेश में आगे विद्वान विचारण न्यायालय के नाम से संबोधित किया जाएगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 277/2025 उनवानी राजस्थान राज्य बनाम राजेन्द्र आदि अंतर्गत धारा 126, 135(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पारित आदेश दिनांकित 21.11.2024 से व्यथित होकर माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, झुन्झुनू के समक्ष पेश की गई, जहां से अंतरित होकर यह इस न्यायालय को प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई।

2. दिनांक 17.07.2026 को निगरानीकारान के प्रार्थना पत्र पर निगरानी याचिका को धारा 442(5) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपील के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये गये। **उक्त आदेश के आलोक में आदेश में आगे निगरानीकारान को अपीलार्थीगण, गैर निगरानीकारान को प्रत्यर्थीगण एवं निगरानी याचिका को अपील के रूप में संबोधित किया जाएगा।**

3. अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील इन आधारों पर पेश की गई है कि आलौच्य आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 131 के अनुसार प्रस्तुत इस्तगासे के बारे में ना तो पढकर सुनाया गया है और ना ही सार समझाया गया है। प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के उपस्थित होने के पश्चात धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दी गई इत्तिला के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए थी ओर जांच करके आदेश पारित करना था, लेकिन महज आदेशिका पर 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बंध पत्र लिए जाने का हवाला देते हुए प्रकरण में गैरसायलान के विरूद्ध अन्य कोई आर्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाने का हवाला देकर कार्यवाही ड्रॉप फरमा दी गई। अपीलार्थीगण के विरूद्ध पारित आदेश विधि अनुसार पारित नहीं किया गया है। अपीलार्थी संख्या 05 सरिता व 06 प्रियंका को इस्तगासे में बतौर पक्षकार संयोजित किया गया है, जबकि उक्त दोनों ही पक्षकारान घटना के समय ग्राम में नहीं थी। सरिता व प्रियंका क्रमशः सीकर एवं झुंझुनूं में रहती हैं तथा अन्य अपीलार्थी अपने अपने रोजगार पर रहते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को पक्ष रखने हेतु व साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु अवसर दिया गया, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उक्त प्रकरण का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा गलत रूप से कर दिया गया है। अतः अपीलार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 21.11.2024 को अपास्त किया जावे।

4. प्रत्यर्थीगण संख्या 02 लगायत 05 की ओर से दिनांक 04.07.2026 न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 06 की तलबी दिनांक 04.07.2026 को बंद की गई।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

6. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से तर्क दिए गए कि प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से जो कारण बताओ

नोटिस जारी किए गए हैं, उसमें समुचित आधारों का उल्लेख नहीं था और दिनांक 21.11.2024 को पारित आदेश में किसी प्रकार से किन आधारों पर कार्यवाही की गई, इस संबंध में अवगत नहीं करवाते हुए सीधे ही जमानत मुचलके पेश करवाए गए हैं। प्रकरण में धारा 126 व 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विहित प्रावधानों की कोई भी पालना विचारण न्यायालय की ओर से नहीं की गई है, जिसके अभाव में विचारण न्यायालय का आदेश विधि अनुरूप नहीं है। लिहाजा विचारण न्यायालय के आलौच्य आदेश दिनांक 21.11.2024 को अपास्त किया जावे।

7. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से तर्क दिए गए कि प्रकरण में विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से जो आदेश पारित किया गया है वह सही आधारों पर पेश किया गया है। स्वयं अपीलार्थीगण की ओर से जमानत मुचलके पेश किए गए हैं। अपीलार्थीगण की ओर से अपील में कोई आधार दर्शित नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण की अपील याचिका अस्वीकार कर खारिज की जावे।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण की पत्रावली एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया। इस अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह उद्भुत होता है –

> "क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2024 को पारित आदेश बिना किसी जांच के किया गया होने के कारण अपास्त योग्य है? ''

9. उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में आलौच्य आदेश एवं विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करें तो विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से थानाधिकारी, पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी की ओर से प्रस्तुत इस्तगासे के आधार पर दिनांक 05.11.2024 को अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 02 लगायत 06 को धारा 126, 135(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। तत्पश्चात दिनांक

21.11.2024 को अपीलार्थीगण को लोक परिशांति बनाए रखने हेतु पाबंद किया गया है। दिनांक 21.11.2024 को पारित आदेश अक्षरतः इस प्रकार हैः–

> **"पत्रावली पेश हुई। गैरसायलान को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त। गैरसायल कजोड़ी पत्नी अरूध सिंह को छोड़कर समस्त गैरसायलान उपस्थित। उपस्थित सभी गैरसायलान ने जमानत मुचलके पेश किए, जिन्हें बाद तस्दीक पत्रावली शामिल मिसल किया गया। उक्त गैरसायलान को अवधि 6 माह के लिए लोक परिशांति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। उक्त गैरसायलान के विरूद्ध उक्त प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही होना अपेक्षित नहीं रह जाता है। उक्त गैरसायलान के विरूद्ध उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाकर पत्रावली आयंदा दिनांक 26.12.24 को पेश हो।''**

10. धारा 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत परिशांति कायम रखने के लिए पाबंद किए जाने हेतु विद्वान विचारण न्यायालय सक्षम न्यायालय है। धारा 126 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रक्रिया संहिता के अध्याय 09 में दी गई है। प्रकरण में धारा 130 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से अपीलार्थीगण को अपेक्षा करते हुए जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें ऐसे किसी विशिष्ट तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि किस रूप में परिशांति भंग की आशंका है, न ही आदेश में ऐसी किसी इतला का सार उल्लेखित किया गया है। अपीलार्थीगण के नोटिस की पालना में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर विद्वान विचारण न्यायालय के लिए धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पालना किया जाना आवश्यक था। धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत विद्वान विचारण न्यायालय के लिए इतिला की सच्चाई के लिए जांच किया जाना आवश्यक है। जांच हेतु विद्वान

विचारण न्यायालय को समन मामलों की प्रकिया अपनानी है। यदि इतिला की जांच से यह साबित होता कि परिशांति कायम रखने के लिए आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति बंधपत्र निष्पादित करे तो उसे बंधपत्र या जमानत का आदेश दिया जा सकता है। यदि जांच के लंबंन के दौरान न्यायालय को प्रतीत होता है कि किसी प्रकार की परिशांति भंग का या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए, या लोक सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करना आवश्यक है, तो वह ऐसे कारणों से, जिन्हे लेखबद्ध किया जाएगा, उस व्यक्ति को जांच की समाप्ति तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए बंधपत्र या जमानत निष्पादित करने का अंतरिम आदेश दे सकता है और निष्पादन में व्यक्तिक्रम करने पर जांच समाप्ति तक अभिरक्षा में निरूद्ध कर सकता है।

11. लेकिन प्रश्नगत मामले में विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से केवल मात्र दिनांक 21.11.2024 को अपीलार्थीगण को बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश देकर जमानत मुचलके तस्दीक किए जाकर अपीलार्थीगण को पाबंद किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से किसी भी रूप में धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो जांच संबंधी प्रक्रम उल्लेखित किए गए थे, की पालना किसी भी रूप में नहीं की गई है, जबकि विद्वान विचारण न्यायालय के लिए उनकी पालना किया बाध्यकारी था।

12. केवल मात्र अपीलार्थीगण को बिना किसी जांच के अपीलार्थीगण को जमानत मुचलके पेश करने का आदेश देकर जमानत मुचलके तस्दीक किया जाना अपने आप में धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं माना जा सकता। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की अवहेलना की गई है।

13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ द्वारा अपने न्यायिक विनिश्चय **Pawan Gaur Vs The State of Rajasthan**

through the Public Prosecutor.S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 929/2021 निर्णय दिनांक 07.03.2025 में यह मत प्रतिपादित किया है कि:–

> **9. The foundational principle behind these provisions is the existence of a reasonable apprehension that a person's conduct is likely to disturb public peace. A mechanical or routine invocation of these sections without any substantial material demonstrating an imminent threat defeats their very purpose. The law does not empower either the police or the Executive Magistrate to exercise preventive jurisdiction in a casual or discretionary manner. The Supreme Court has time and again emphasized that the preventive powers under Cr.P.C. should not be used to curtail personal liberty unless there is a clear, immediate, and substantial risk to public order. The absence of any such material in the present case indicates an excessive and arbitrary use of power.**
>
> **10. In the instant matter, the Executive Magistrate's approach to the case is deeply concerning. The order dated 13.06.2020, being a mere half-printed, half-written proforma, is an outright display of non-application of mind. Such an order, devoid of any reasoned discussion or independent analysis, reflects an institutional failure to uphold the rule of law. It suggests that the Executive Magistrate acted as a rubber stamp for the police rather than as an independent judicial authority tasked with ensuring fairness**

and justice. The expectation from an Executive Magistrate is not mere clerical endorsement of police actions but the application of independent judicial reasoning to assess whether a preventive action is warranted under the law.

11. Moreover, the casual and callous approach of the Executive Magistrate in mechanically approving the police's request without scrutinizing the necessity of detention is a direct violation of constitutional and legal principles. Such an attitude not only undermines the individual's right to liberty but also erodes public trust in the judicial process. An Executive Magistrate, while exercising powers under Section 107 Cr.P.C., must ensure that the subjective satisfaction regarding the likelihood of a breach of peace is based on cogent material and not vague apprehensions. Similarly, under Section 151 Cr.P.C., an arrest cannot be made as a matter of routine; it must be justified by compelling reasons, indicating an immediate need for preventive action.

12. The instant case exemplifies a broader trend of misuse of preventive provisions by the police and the executive branch, where individuals are detained without proper justification, often in an arbitrary and high-handed manner. Such misuse of power, if left unchecked, can lead to a dangerous precedent where preventive detention becomes a tool of harassment rather than a lawful means of maintaining order. Judicial authorities, including Executive Magistrates, must be conscious of their duty to act as protectors of

constitutional rights rather than facilitators of executive overreach.

14. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इस न्यायिक विनिश्चय में प्रतिपादित मतानुसार भी विद्वान विचारण न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह इस प्रकृति का आदेश तथ्यपरक रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साम्रगी के आधार पर जारी करे और परिशांति भंग की संभावना ठोस साक्ष्य पर आधारित हो।

15. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2024 को अपीलार्थीगण के संबंध में आदेश पारित करते समय किसी भी रूप में धारा 135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मे उल्लेखित उपबंधों की किसी रूप में पालना नहीं करते हुए उक्त प्रकरण के पक्षकारान को परिशांति कायम रखने हेतु पाबंद किया गया है, जो कि किसी भी रूप में विधिक प्रक्रिया की पालना की जाकर पारित किया जाना नहीं माना जा सकता। अतः विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से पारित आलौच्य दिनांक 21.11.2024 को विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

16. परिणामतः अपीलार्थीगण राजेन्द्र एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय का आलौच्य आदेश दिनांकित 21.11.2024 अपास्त किया जाता है। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को मुल अभिलेख सहित अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

17. आदेश आज दिनांक 20 जुलाई, 2026 को लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 02
झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.08.03 12:19:04 IST